

बिहार सरकार
बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण
(योजना एवं विकास विभाग)

पत्रांक: - ब्लाडा (लेखा) 02/49/2023 **59** /पटना, दिनांक 22 जनवरी, 2026
आदेश

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-02, सीवान का पत्रांक 188 दिनांक 19.01.2026 के आलोक में उक्त कार्य प्रमंडल को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय बिहार विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुमान्यता राशि के अधीन निम्न प्रकार से राशि आवंटित किया जाता है:-

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	वर्तमान में कुल आदेयता / दायित्व की राशि		पूर्व में विमुक्त राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतिशत	वर्तमान में आवंटित राशि
1	2		3	4	5	6
2025-26	MLA	1600.00	1600.00	1172.43083	73.27	207.838
	MLC	207.838				
	Total	1807.838				
कुल						207.838

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अबतक आवंटित कुल राशि **₹1807.83800** लाख रुपये की राशि को मदवार सामान्य मद-**₹1518.58392** लाख रुपये, एस0सी0 मद-**₹289.25408** लाख रुपये माना जाय।

उपर्युक्त विवरणी के स्तभ-6 में अंकित राशि यथा 2025-26 के लिए कुल राशि **₹207.838** लाख (दो करोड़ सात लाख तेरासी हजार आठ सौ रुपये) मात्र कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-02, सीवान को **CFMS** के माध्यम से राशि अंतरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

शर्त:-

- (1) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित की जा रही राशि का वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं पर ही व्यय करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में इस राशि का व्यय किसी अन्य वर्ष की स्वीकृत योजनाओं पर नहीं किया जायेगा।
- (2) आवंटित राशि के विचलन की स्थिति में संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
- (3) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत वर्ष 2011-12 से 2025-26 तक आवंटित राशि का वर्षवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र **BTC Form 27C** एवं **27C1** में तैयार कर बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (ब्लाडा) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

- (4) उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि वित्तीय वर्ष के लिए वांछित राशि (यथा आवंटित राशि का 60% राशि) से कम होने की स्थिति में उक्त वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान्यता की अवशेष राशि विमुक्त नहीं किया जायेगा।
- (5) इस आवंटित राशि का व्यय प्रासंगिक वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए किया जायेगा।

ह0 / -

(रणजीत कुमार)

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी,


ज्ञापांक:- ब्लाडा (लेखा) 02/49/2023

59

/पटना, दिनांक 22 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रशासी पदाधिकारी, (MKVY प्रभारी), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. जिला योजना पदाधिकारी, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. लेखा शाखा, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण को CFMS के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-02, सीवान को राशि ₹207.838 लाख (दो करोड़ सात लाख तेरासी हजार आठ सौ रूपये) मात्र Fund Transfer करने हेतु प्रेषित।
9. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-02, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त राशि GEN एवं SC मद के अनुसार ही राशि CFMS के माध्यम से खर्च करना सुनिश्चित करे।
10. श्री सुदामा कुमार, आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी